निगरानी 1127-I-15

175

BEFORE THE COURT OF HON'BLE BOARD OF REVENUE, CAMP AT JABALPUR

REVISION NO. 2015

RIVISIONIST/ APPLLICANT

1. Bhola Prasad S/o- Pitaru Sahu Aged about 55 Years
2. Omkar S/o- Pitaru Sahu , about 50 years,
3. Beni S/o- Pitaru Sahu , Aged about 48 years,

R/0- Ward No. 9, Narsi ngh Pur Road, Near D. Nema, Tehsil – Chhindwara , District- Chhindwara (M.P.).

495

श्री संजय कुमार मालवीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार 8/5R
15 APR 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

VERSUS

RESPONDENTS/ NON-APPLICANT

1. Badami Lal S/0- Pitaru Sahu, Aged about 58 years,
2. Pappu @ Mangal Sahu S/o- Pitaru Sahu, Aged about 48 years,
   Both R/0- Ward No. 9, Narsingh Pur Road, Tehsil – Chhindwara , District- Chhindwara (M.P.).
3. Pankhi Bai Wd/o Kapoor chand Sahu, Aged about 90 years.
   R/o- Ward No. 9, Narsinghpur Raod,

914

REIVISION UNDER SECTION 50 OF M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

The Revisionist/Applicants submits as under:-

That, Being aggrieved by the order passed in **Order Sheet dated 06/04/2015**, passed by the Tehsildar, Chhindwara in Revenue Case No. 68/A-27/2013-2014, the Revisionists/Applicants prefers this Revision on the following grounds, Interalia others:-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1127–एक/15 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
26 –8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, छिंदवाड़क्ष के प्रकरण कमांक 68/अ–27/13–14 में पारित आदेश दिनांक 6–4–15 के विरूद्ध विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकों द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 का निरस्त किया गया है । 2/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक को अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि प्रकरण में अंतिम आदेश हो चुका है इस कारण यह निगरानी निरर्थक हो गया है । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण यह निर्देश दिए गए थे कि वे चाहें तो लिखित तर्क पेश कर सकते हैं परंतु आज दिनांक तक आवेदक की ओर से लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3/ तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष बटवारा प्रकरण प्रचलित होने पर आवेदकगण द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने से प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है अतः प्रकरण समाप्त किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए	

निग० -1127.I/15 (छिंदवाड़ा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कि अनावेदकों द्वारा बतलाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण का निराकरण हो चुका है और चूंकि प्रश्नाधीन भूमि के उभयपक्ष सहखातेदार हैं आर सह खातेदारों को अपनी भूमि का बटवारा कराने का अधिकार प्राप्त है आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में चूंकि अंतिम आदेश पारित हो चुका है इस कारण भी यह निगरानी निरर्थक हो गई है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	